



HAMIRPUR POLICE



थाना राठ

दिनांक 16.09.2023

अवैध तमंचा/कारतूस सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 16.09.2023 को थाना राठ पुलिस द्वारा अभियुक्त इमरान उर्फ बन्टी पुत्र मुन्ना अली निवासी मु0 नई बस्ती फरसौलियाना कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ मण्डी तिराहा नहर बाईपास के पास कस्बा व थाना राठ से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना राठ पर मु0अ0सं0 476/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास

- 1) मु0अ0सं0-205/23 धारा 3/25 आयुध अधि0
- 2) मु0अ0सं0-0219/18 धारा 286/336/504 आईपीसी
- 3) मु0अ0सं0-815/17 धारा 323/387/506 आईपीसी

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 विनेश गौतम
2. हे0का0 हरेकृष्ण



इमरान उर्फ बन्टी पुत्र मुन्ना अली नि0मु0 नई बस्ती फरसौलियाना